अनुभाग 4(1)(ख)(vii):

दिव्यांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड (CAB) एक वैधानिक निकाय है जो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD अधिनियम) के तहत स्थापित किया गया है। यह दिव्यांगता से संबंधित मामलों पर एक सर्वोच्च परामर्श और सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करता है। CAB की पिछली (7वीं) बैठक 15.12.2024 को नई दिल्ली में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। CAB की बैठकों की कार्यवृत्त DEPwD की वेबसाइट https://depwd.gov.in/central-advisory-board-on-disability पर उपलब्ध है।

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बेंचमार्क दिव्यांगता वाले पदों की पहचान के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन RPWD अधिनियम, 2016 की धारा 33 के अंतर्गत किया गया है, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व है। अधिसूचना दिनांक 04.01.2021 द्वारा जारी पहचाने गए पदों की सूची और दिनांक 08.11.2024 को जारी की गई पहचान दिशानिर्देश https://depwd.gov.in/identification-of-posts-for-pwds/ पर उपलब्ध हैं।